

प्रेस नोट दिनांक 24.10.2024 जनपद प्रतापगढ़

थाना सांगीपुर, जनपद प्रतापगढ़

सोशल मीडिया पर मारपीट के दौरान अवैध हथियार का फोटो/वीडियो वायरल होने पर 02 अभियुक्त गिरफ्तार।

02 अवैध तमंचा 315 बोर व 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद।

थाना सांगीपुर क्षेत्रान्तर्गत शुकुलपुर नहर व सुजाखर- सिलौधी मार्ग के पास से 02 अभियुक्त गिरफ्तार।

मारपीट के प्रकरण में थाना सांगीपुर पर पंजीकृत अभियोग में वांछित थे अभियुक्त।

घटना का संक्षिप्त विवरण।

थाना सांगीपुर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम गोडवा में दो पक्षों में मारपीट के दौरान अवैध शस्त्रों का प्रदर्शन करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डा० अनिल कुमार वायरल वीडियो की जांच कर थाना सांगीपुर पुलिस को कार्यवाही करने हेतु दिये गये सख्त निर्देश के क्रम में 02 अवैध तमंचा कारतूस के साथ 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डा० अनिल कुमार द्वारा अपराधियों एवं संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग कर प्रभावी कार्यवाही करते हुए अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु दिये गये सख्त निर्देश के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (पश्चिमी) श्री संजय राय व क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री रामसूरत सोनकर के निकट मार्गदर्शन में दिनांक 24.10.2024 को थाना प्रभारी सांगीपुर श्री मनीष त्रिपाठी के नेतृत्व में उ०नि० सुमित सिंह मय हमराह उ०नि० प्रशिक्षु सत्यम तिवारी, का० सर्वेन्द्र सिंह चौहान, का० मुकेश कुमार द्वारा ग्राम गोडवा में मारपीट में वायरल वीडियो में संदिग्ध व्यक्ति/ फोटो की जांच से तलाश वांछित/ वारण्टी अभियुक्त की तलाश हेतु चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर,

मु०अ०सं०-202/2024 धारा-191(2), 115(2), 352, 351(2)/(3), 131, 333 बीएनएस से संबंधित वांछित अभियुक्त प्रदीप पाठक पुत्र दृगपाल पाठक निवासी ग्राम गोडवा थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़ को ग्राम शुकुलपुर नहर के पास से 01 अवैध तमंचा 315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया। अवैध तमंचा व कारतूस बरामदगी के आधार पर थाना सांगीपुर में मु०अ०सं० 208/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया है।

मु०अ०सं०-202/2024 धारा-191(2), 115(2), 352, 351(2)/(3), 324(4)/(5) बीएनएस व 3(1)द, 3(1)ध, 3(2)वA एससी/एसटी से संबंधित वांछित अभियुक्त मो० हासिम उर्फ मुन्ना पुत्र मो० हनीफ निवासी ग्राम गोडवा थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़ को ग्राम सुजाखर- सिलौधी मार्ग के पास से 01 अवैध तमंचा 315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया। अवैध तमंचा व कारतूस बरामदगी के आधार पर थाना सांगीपुर में मु०अ०सं० 209/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण –

1- प्रदीप पाठक पुत्र दृगपाल पाठक निवासी ग्राम गोडवा थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़ ।

2-मो0 हासिम उर्फ मुन्ना पुत्र मो0 हनीफ निवासी ग्राम गोडवा थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़।

आपराधिक इतिहास-

1- प्रदीप पाठक पुत्र दृगपाल पाठक निवासी ग्राम गोडवा थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़ का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0- 170/201 धारा- 346/504/506भादवि व 3(1)द,3(1)ध SC/ST Act थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़

2. मु0अ0सं0- 82/2018 धारा- 147/148/149/323/504/506/307 भादवि थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़

3. मु0अ0सं0- 105/2019 धारा- 3/25 आर्म्स एक्ट थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़

4. मु0अ0सं0- 196/2019 धारा- 147/323/302/504/120बी भादवि थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़

5. मु0अ0सं0- 147/2021 धारा- 147/452/506/427 भादवि थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़

6. मु0अ0सं0- 206/2024 धारा- 191(2)/115(2)/352/351(2)/(3)/131/333 बीएनएस थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़

2- मो0 हासिम उर्फ मुन्ना पुत्र मो0 हनीफ निवासी ग्राम गोडवा थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़ का आपराधिक इतिहास-

1- मु0अ0सं0-202/2024 धारा-191(2), 115(2), 352, 351(2)/(3), 324(4)/(5) बीएनएस व 3(1)द, 3(1)ध, 3(2)vA एससी/एसटी थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़ ।

बरामदगी:- 02 अवैध तमंचा 315 बोर व 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर

पंजीकृत अभियोग:-

मु0अ0सं0 208/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट बनाम प्रदीप पाठक उपरोक्त ।

मु0अ0सं0 209/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट बनाम मो0 हासिम उर्फ मुन्ना उपरोक्त ।

पुलिस टीम -

उ0नि0 सुमित सिंह मय हमराह उ0नि0प्रशिक्षु सत्यम तिवारी, का0 सर्वेन्द्र सिंह चौहान, का0 मुकेश कुमार, थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़ ।

थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़

थाना रानीगंज पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक डॉ० अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना रानीगंज के उ०नि० हरिमोहन राजपूत मय हमराह आरक्षी विनोद कुमार, आरक्षी प्रदीप कुमार द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त के दौरान, मुखबिर की सूचना पर मु० नं०-6094/09 धारा 25 A एक्ट थाना कंधई से संबंधित वारण्टी अभियुक्त गौरीशंकर पुत्र मुनेश्वर गौड़ निवासी ग्राम जामताली थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ को उसके घर से गिरफ्तार किया गया ।

अभियुक्त का विवरण-

01. गौरीशंकर पुत्र मुनेश्वर गौड़ निवासी ग्राम जामताली थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ ।

पुलिस टीम-

उ०नि० हरिमोहन राजपूत मय हमराह आरक्षी विनोद कुमार, आरक्षी प्रदीप कुमार थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़।